सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2008-2009

ध्येय : सभी के लिए खाद्य सुरक्षा

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान

—: अनुक्रमणिका :—

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	विभाग की स्थापना	1
3.	कार्य संपादन	2
4.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	3
5.	राशन कार्ड	4
6.	उचित मूल्य दुकानों का आवंटन	4
7.	सतर्कता समितियां	6
8.	आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, मापदण्ड एवं मूल्य	8
9.	एपीएल योजना	8
10.	बीपीएल परिवार	9
11.	अन्त्योदय अन्न योजना	9
12.	अन्नपूर्णा योजना	10
13.	राशन टिकिट	10
14.	फूड स्टेम्पस	11
15.	समर्थन मूल्य के अतंर्गत खरीद	11
16.	चीनी	13
17.	केरोसीन	13
18.	एलपीजी	14
19.	उपभोक्ता सुरक्षा	14
20.	जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने हेतु कार्यवाही	14
21.	उपभोक्ता संरक्षण	15–17
22.	सूचना का अधिकार	18
23.	वास्तविक आय–व्यय एवं संशोधित प्रावधान	19
24.	परिशिष्ठ– 1 से 8	20–37

प्रस्तावना

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 564.73 लाख है। इस जनसंख्या में 432.68 लाख ग्रामीण और 132.05 शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है। प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या 25.84 लाख है। इन सभी परिवारों के साथ ही सामान्य परिवारों के लिए भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन राज्य में आरंभ से ही किया जा रहा है।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्‌गम 1960 के दशक में हुई खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी से कमी वाले शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण करने पर ध्यान केन्द्रित करके हुआ था। इसके बाद हरित क्रांति के अंतर्गत चूंकि राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार 1970 और 1980 के दशकों मे आदिवासी ब्लाकों और अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों के लिए किया गया था। वर्ष 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेष लक्ष्यों के बगैर सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य पात्रता योजना थी। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1992 में सम्पूर्ण देश के 1775 में प्रारंभ की गयी थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 में प्रारंभ की गई थी।

विभाग की स्थापना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमी का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम 'खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले' विभाग किया गया।

विभाग द्वारा राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी संचालन करने के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के क्रियान्वयन संबंधित कार्य भी विभाग द्वारा किये जाते है। प्रमुख रूप से विभाग के कार्य इस प्रकार से हैं –

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों के मार्फत खाद्यान्नों की खरीद।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का प्रवर्तन।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का क्रियान्वयन एवं उपभोक्ता आन्दोलन को गति देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन।

कार्य संपादन

उपरोक्त उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते हैं:–

- भारत सरकार से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण योग्य आवश्यक वस्तुओं का राज्य की मांग के अनुरूप आवंटन प्राप्त करना एवं आवंटित वस्तुओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं को वितरण कराना,
- समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों यथा– गेंहूँ, जौ, मक्का, बाजरा व धान (पैडी) की कीमत निर्धारित मूल्यों से कम होने पर किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से क्रय करने में सहयोग करना,
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं इसके अन्तर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों के प्रवर्तन व कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के आदेश के अन्तर्गत जमाखोरी व कालाबाजारी के विरूद्ध कार्यवाही करना
- उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग एवं जिला मंचों की प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी कार्य करना, एवं
- उपभोक्ता आंदोलन को गति देने संबंधी कार्य करना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की पहुंच सुनिश्चित करने में पर्याप्त रूप से योगदान दिया है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बाद वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग के प्रमुख रूप से निम्न उद्धेश्य हैं–

- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना,
- कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में गेहूँ, चावल, चीनी एवं केरोसीन तेल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। उक्त वस्तुयें निर्धारित मात्रा में निश्चित मूल्य लेकर उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर दी जाती हैं। भारत सरकार से खाद्यान्न आवंटित किए जाने के आदेशों के पश्चात राज्य के जिलों हेतु खाद्यान्न नियत अवधि में उठाव व्यवस्था के साथ उप आवंटन जारी किया जाता है। जिलों में जिला कलक्टर्स द्वारा तहसील /पंचायत समिति अनुसार किये गये आवंटन के आधार पर संबंधित थोक विक्रेता के माध्यम से आवंटित वस्तुएं उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाई जाती है। राज्य में वर्तमान (31 मार्च, 09) में कुल 169 थोक विक्रेता है।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य में कुल 22991 उचित मूल्य की दूकाने स्थापित है, जिनमें से 5298 शहरी क्षेत्र में एवं 17693 दुकाने ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है। राज्य में शहरी क्षेत्र में औसतन 3131 यूनिट पर एक उचित मूल्य की दुकान तथा ग्रामीण क्षेत्र में औसतन 2868 यूनिट पर एक उचित मूल्य की दुकान कार्यरत हैं। विभाग के आदेश 15.11.2002 द्वारा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में 2000 ईकाइयों पर भी उचित मूल्य की दुकान खोली जा सकती है। संभाग एवं जिलेवार उचित मूल्य दुकानों की सूचना परिशिष्ठ "1" पर अंकित हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन टिकिट व्यवस्था लागू की गई है ताकि खाद्य सामग्री की लाभार्थी तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 2008–09 मे विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं मे अप्रेल 08 से मार्च 09 तक आवंटन–उठाव परिशिष्ठ 2 पर स्थित है।

राशन कार्ड

राज्य में पृथक–पृथक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये पृथक–पृथक रंगों के राशन कार्ड दिये जाने की व्यवस्था है।

योजना (परिवार)	राशन कार्ड का रंग	योजना की पात्रता (योग्यता)
1– एपीएल क–डबल गैस सिलेण्डर धारक ख–सिंगल गैस सिलेण्डर धारक	 नीला हरा	 सामान्य उपभोक्ता सामान्य उपभोक्ता
2– बीपीएल	गहरा गुलाबी	ग्राम सभा/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा चयनित बीपीएल परिवार।
3–अन्त्योदय अन्न योजना	पीला	ग्राम सभा/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा चयनित अंत्योदय अन्न परिवार

इसी प्रकार राशन कार्डो की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है:–

- ए.पी.एल. : 122.16 लाख
- बी.पी.एल. : 16.52 लाख
- अन्त्योदय अन्न योजना : 9.32 लाख

उचित मूल्य दुकानों का आवंटन

उचित मूल्यकी दुकान आँवटन के लिए रिक्त/उपलब्ध होने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञाप्ति जारी कर अवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए राज्य सरकार के जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति गठित की हुई है। इस समिति में शहरी/ग्रामीण क्षेत्रो के लिए निम्न प्रकार गठन किया हुआ है।

- शहरी क्षेत्र हेतु

समिति में विभागीय अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) के अतिरिक्त नगर निगम/ परिषद/ नगर पालिका का अध्यक्ष/प्रशासक या उसके द्वारा मनोनीत जन प्रतिनिधि/ अधिकारी/ तहसीलदार, तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के सामाजिक

कार्यकर्त्ता, उपभोक्ता एवं महिला उपभोक्ता उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति में सम्मिलित हैं।

- ग्रामीण क्षेत्र हेतु

समिति मे विभागीय अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) के अतिरिक्त सम्बधित ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार, तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, उपभोक्ता, महिला उपभोक्ता उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति में सम्मिलित हैं।

आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जाती है। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा उचित मूल्य दुकानों के लिए प्राधिकार पत्र जारी किये जाते हैं।

विभाग के परिपत्र क्रमांक 74(7)खा.वि/सा.वि.प्र./87–III दिनांक 23.02.08 द्वारा विभागीय पूर्व परिपत्र दिनांक 25.01.06 को अतिक्रमण करते हुए उचित मूल्य दुकानों आवंटन हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 07.10.05 के बिन्दु संख्या 2 में आंशिक संशोधन कर आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के मध्य किसी व्यक्ति /संस्था की पात्रता के बारे में मतभेद होने पर बहुमत द्वारा की गई अभिशंषा के मामले भी जिला कलक्टर को निर्णय हेतु प्रेषित किये जायेंगे। भविष्य में ऐसे प्रकरणों को जिला कलक्टर द्वारा ही स्वयं के स्तर से आवंटन के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

राज्य में खाद्यान्नों का वितरण विभिन्न जिलों में स्थापित उचित मूल्य की दुकानों के जरिए किया जाता है। उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु निम्नानुसार प्राथमिकतायें निर्धारित की गई है:–

1. "महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या अन्य किसी विभाग के अन्तर्गत राजकीय कार्यक्रमों के संचालन हेतु चयनित अथवा मान्यता प्राप्त हो।"
2. सहकारी समितियां (जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं)
3. शिक्षित बेरोजगार
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति
5. महिलायें–विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।
6. भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवा।

7. बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील क्षेत्रों में 50 प्रतिशत दुकान सहरिया जाति को आवंटित की जावेगी तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को एवं शेष 50 प्रतिशत सामान्य प्रकिया के तहत उचित मूल्य दुकान आवंटित की जावेगी।

- उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रितों को प्राथमिकता क्रम के आधार पर उचित मूल्य दुकान आवंटित किये जाने का प्रावधान है।

सतर्कता समितियाँ

वितरण व्यवस्था पर निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों का निम्नानुसार गठन किया गया है–

- **जिला स्तरीय सतर्कता समिति–**

जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया हुआ है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर है। जिले के समस्त सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, जिले के समस्त प्रधान/पंचायत समिति, जिले के समस्त नगर पालिकाओ/परिषदों/निगमों के अध्यक्ष/प्रशासक, उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधि (जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत) सदस्य है तथा जिला रसद अधिकारी समिति के सदस्य सचिव है।

- **तहसील स्तरीय सतर्कता समिति–**

तहसील स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया हुआ है। जिसमें प्रधान पंचायत समिति अध्यक्ष है, उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार उपाध्यक्ष है। शेष स्थानीय निकाय (नगर पालिका) के दो सदस्य, पंचायत समिति के दो सस्दस्य, स्थानीय विधायक, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दो उपभोक्ता (मनोनयन द्वारा), सामाजिक/उपभोक्ता संगठन के दो सदस्य, समिति के सदस्य है तथा संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक इसके सदस्य सचिव है।

- **उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति–**

प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर सतर्कता समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद, अध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्यकर्ता (2) उपभोक्ता (1) सेवा निवृत अधिकारी, कर्मचारी (स्थानीय निवासी) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच अध्यक्ष है, उपभोक्ता (1) संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक/अध्यापक, सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी) उपभोक्ता/सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता, पंच (1) सदस्य है। ये समितियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाली

वस्तुओं की आमद, वितरण व्यवस्था और दुकान संचालन पर निगरानी रखती हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय सतर्कता समितियाँ अलग से गठित हैं।

विभाग के परिपत्र कमांक एफ 97(3)खावि/साविप्र/97—II दिनांक 11.05.1999 द्वारा सतर्कता समितियों के गठन बाबत विस्तार से दिशा निर्देश जारी किये गये है। विभाग के समसंख्यक पत्र 07.12.2005 द्वारा सतर्कता समितियों में गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन पुनः प्रारंभ करने हेतु आदेश दिये गये हैं ताकि समितियां सशक्त रूप से अपने दायित्व को निभा सके। राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाए जाने के क्रम में विभाग द्वारा निम्नाकित कदम उठाए गए है :—

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन टिकिट व्यवस्था लागू की गई है।
- उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु नवीन दिशा—निर्देश दिनांक 27.02.2009 को जारी किये हुये हैं।
- शैक्षणिक योग्यता हेतु आवेदक के लिये 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन जनजाति उपयोजना क्षेत्र व बारां जिले की शाहबाद किशनगंज तहसीलों के लिए अनुसूचित जनजाति/सहरिया व्यक्तियों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रावधान किया हुआ है।
- प्रवर्तन अधिकारियो/निरीक्षकों के निरीक्षण व भ्रमण को प्रभावी बनाना।
- नियन्त्रित वस्तुओं की उचित मूल्य दुकान पर पहुंच सुनिश्चित कराने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ओर प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उचित मूल्य दुकान स्तर पर अनलोडिंग के समय सतर्कता समिति के सदस्यों, पटवारी, ग्रामसेवक, एएनएम, प्रधानाध्यापक अथवा किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सत्यापन कराये जाने के निर्देश जारी किये गये।
- सम्पूर्ण राज्य में उचित मूल्य दुकानों के खुली रहने के समय में एक रूपता की गई है—

माह	समय
1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक	प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक
1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक

साप्ताहिक अवकाश का दिन निर्धारित करने के लिए जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है।

आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, मापदण्ड एवं मूल्य

राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण योग्य वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित है –

नाम वस्तु	बी.पी.एल.	अन्त्योदय अन्न योजना	अन्नपूर्णा	ए.पी.एल.
गेहूँ	रू. 4.70 (प्रति किलो)	रू. 2.00 (प्रति किलो)	निःशुल्क	रू. 6.80 (प्रति किलो)
चावल	रू. 6.30 (प्रति किलो)	रू. 3.00 (प्रति किलो)	–	रू. 9.00 (प्रति किलो)
खाद्यान्न की मात्रा (प्रतिमाह)	35 किग्रा	35 किग्रा	10 किग्रा	35 किग्रा

बी.पी.एल. परिवारों को चीनी 500 ग्राम प्रति ईकाई प्रति माह, रूपये 13.50 प्रति किलोग्राम की दर से वितरित की जाती है। नीला केरोसीन (डबल गैस सिलेण्डर धारक को छोड़कर) सिंगल गैस सिलेण्डर धारक को 2 लीटर एवं शेष सामान्य राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन की उपलब्धता के आधार पर समान मात्रा में 10/– रूपये प्रति लीटर की रेट पर उपलब्ध कराया जाता है ।

एपीएल योजना –

सामान्य वर्ग के लोगों को एपीएल श्रेणी का माना गया है। इस योजना में वर्तमान में 122.16 राशन कॉर्डो की संख्या है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत एपीएल परिवारों के लिए गेंहूँ 6.80 पैसे प्रति किलोग्राम प्रतिमाह 35 किलोग्राम प्रति परिवार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वर्तमान में राज्य के अधिकांश एपीएल परिवारों को लगभग 10 किलो. गेहूँ प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जा रहा है।

पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के एपीएल परिवारों के लये 1,57,682 मैं. टन गेंहूँ प्रतिमाह को आवंटित किया जा रहा था। किन्तु माह जून, 06 से इसमें भारी कटौती करते हुए राज्य को आवंटन 17204 मैं. टन प्रतिमाह कर दिया गया। जिस पर विभाग द्वारा एपीएल मात्रा बढाने बाबत भारत सरकार को पत्र लिखे गये, तद्परान्त भारत सरकार से राज्य को नियमित आवंटन के अलावा 47156 तदर्थ/अतिरिक्त आवंटन भी अप्रेल, 09 से मार्च, 10 तक के लिये किया गया है। इस प्रकार कुल 64360 मैं. टन आवंटन प्राप्त हो रहा है।

बीपीएल परिवार –

केन्द्र सरकार की योजनानुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1997 से प्रारम्भ की गई थी। बीपीएल सेन्सस 1997 के आधार पर राज्य में चिन्हित परिवारों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 20.97 लाख तथा शहरी क्षेत्रों में बीपीएल सेंसस 2003 के अनुसार 4.87 लाख बीपीएल परिवार हैं, इस प्रकार कुल बीपीएल परिवारों की संख्या 25.84 लाख हो गई है। इन 25.84 लाख बीपीएल परिवारों में से 9.32 लाख अन्त्योदय परिवारों को कम करने पर 16.52 लाख शुद्ध बीपीएल परिवारों की संख्या रह जाती है।

ग्रामीण बीपीएल सर्वे, 2000 के विरूद्ध एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर होने के कारण राशन कार्ड मुद्रण की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, चूँकि अब याचिका का अन्तिम निर्णय हो चुका है, पुनः राशन कार्ड मुद्रण एवं वितरण की कार्यवाही ए.ए.वाई के लाभार्थियों की छँटनी के पश्चात् शीघ्र प्रारम्भ की जावेगी।

अन्त्योदय अन्न योजना

यह योजना मार्च, 2001 में प्रारम्भ की गई है ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निर्धनतम वर्ग को सहायता प्रदान करने के संकल्प को परिलक्षित करती है।

अन्त्योदय अन्न योजना के तहत वह परिवार/लक्षित समूह है, जो मुख्यतः बीपीएल परिवारों में से अत्यधिक गरीब है। इस योजना के अन्तर्गत लक्षित परिवारों की कय शक्ति को ध्यान में रखते हुए अनुदानित दर पर गेंहूँ 2/– रूपये प्रति किलोग्राम एवं चावल 3/– रूपये प्रति किलोग्राम से प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। योजना में प्रारंभ से लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है –

चयन हेतु अनुमत संख्या		चयनित परिवार (लाख)
सामान्य	3.72600	3.72600
प्रथम विस्तार 2003.2004	1.86500	1.86500
द्वितीय विस्तार 2004.2005	1.79000	1.79000
तृतीय विस्तार 2005.2006	1.94000	1,94,000
महायोग	9.32100	9,32,100

तृतीय विस्तार अंतर्गत वर्ष 2005–06 के लिए 1.94 लाख परिवारों के चयन के विरूद्ध लिये जाने पर तदनुसार भारत सरकार से आवंटन प्राप्त हो चुका है एवं जिलों को लाभान्वितों हेतु खाद्यान्न वितरण का आवंटन किया जा चुका है।

अन्नपूर्णा योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के असहाय वृद्ध व्यक्तियों को जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अथवा राज्य वृद्धावस्था पेंशन दोनों में से कोई भी नहीं मिल रही है, ऐसे पात्र व्यक्तियों को अधिकारिता पत्र (गुलाबी रंग का प्राधिकार पत्र) के आधार पर 10 किलोग्राम गेंहूँ प्रति माह निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों को गेंहूँ का वितरण त्रैमासिक रूप से किया जाता है। वर्तमान में वर्ष 2001–02 में चयनित व्यक्तियों के लिए ही भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना में लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है :–

चयनित वर्ष	चयनित लाभान्वित संख्या	10 किलो प्रति माह के अनुसार मांग (Kg. प्रति माह)	वर्तमान आवंटन (वार्षिक) (मै. टन)
2001–02	105293	1052930	12635

योजना में 2008–09 में आवंटन एवं उठाव **परिशिष्ठ – 2** एवं योजनावार परिवारों की सूची **परिशिष्ठ – 2 "अ"** पर स्थित है।

राशन टिकट योजना

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बीपीएल, अन्त्योदय योजना के राशन कार्डधारकों एवं अन्नपूर्णा के अधिकार पत्र धारियों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों को लक्षित समूह तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राशन टिकिट योजना लागू की गई है। बीपीएल, अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के पूर्व अंकित मात्रा के राशन टिकिट सभी जिला कलक्टरों को वितरण हेतु उपलब्ध कराये जा चुके है। राशन कार्ड के साथ बीपीएल/अन्त्योदय अन्न योजना/अन्नपूर्णा योजना के उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को राशन टिकिट दिये जाने पर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जावेगा। योजना की क्रियान्विति से खाद्यान्न के पात्र उपभोक्ता तक पहुंच (डिलिवरी) के प्रभावी सफलता के क्रम में व्यवहारिक समस्याओं को मध्यनजर रखते हुए वर्ष 2006–08 तक के दो वर्षों के लिए विभाग के पत्र क्रमांक एफ 97(1) खावि/साविप्र/204 दिनांक 19.10.2005 के द्वारा योजना की क्रियान्विति बाबत विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। बी.पी.एल. परिवारों की नई सूची के आधार पर राशन कार्ड जारी होने तक ग्रामीण क्षेत्रों में सितम्बर 2006 के

पश्चात राशन टिकट जारी नहीं किए गए है। ग्रामीण बीपीएल सेन्सस, 2002 की संशोधित सूची ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है। ग्रामीण बीपीएल/अन्त्योदय परिवारों के राशन टिकट मुद्रण कराकर सभी जिलों को उपलब्ध करवा दिये गये हैं।

फूड स्टेम्प योजना

वर्ष 2004 से प्रारम्भ की गयी "भूख से मुक्ति" हेतु सहायता एवं आपदा प्रबन्धन विभाग की फूड स्टेम्प योजना का खाद्य विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों को 10–10 किलोग्राम के 100 फूड स्टेम्प प्रति वर्ष उपलब्ध करये जा रहे हैं। खाद्यान्न के अभाव में भूख से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को तात्कालिक सहायता के रूप में 10 किलोग्राम गेंहूँ का फूड स्टेम्प दिया जाता है। इस फूड स्टेम्प के आधार पर पीड़ित व्यक्ति उचित मूल्य की दुकान से बिना कोई भुगतान किए (निःशुल्क) 10 किलो गेंहूँ वर्ष में एक बार प्राप्त कर सकता है।

समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खरीद

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो व अनुचित व्यापारिक प्रवृतियों से किसानों की सुरक्षा की जावे इसी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों के मार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निम्न जिंसों का संग्रहण (प्रोक्योरमेंट) किया जाता है–

रबी फसल– गेहूँ व जौ, धान (पैडी)

खरीफ फसल में मोटे अनाज यथा बाजरा, ज्वार व मक्का

(अ) विपणन वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में भारत सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ के लिए निम्न प्रकार समर्थन मूल्य घोषित किये गये हैं:–

(समर्थन मूल्य रूपये प्रति क्विंटल में)

		वर्ष 2007–08	वर्ष 2008–2009
रबी	गेंहूँ	750 + 100 = 850 (बोनस)	1000
	जौ	–	650
खरीफ (मोटे अनाज)	बाजरा व ज्वार	600 एवं 620	840
	मक्का	620	840

भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम व राजफैड द्वारा राज्य में रबी विपणन वर्ष 2006–07 में 1582 मै.टन गेहूँ एवं वर्ष 2007–08 में 383476 मै.

टन गेहूँ की खरीद की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2007–08 में राज्य की विभिन्न मण्डियों में बाजरा व मक्का के भाव समर्थन मूल्य से अधिक रहने के कारण बाजरा व मक्का की कोई खरीद नहीं की गई है। वर्ष 2008–09 में भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मक्का और बाजरा खरीद की अंतिम तिथि 31.12.08 होने एवं राज्य में चुनाव अधिसूचना लागू होने पर चुनाव आयोग एवं भारत सरकार द्वारा सूचनायें चाही गयी, जो भेज दी गयी है, खरीद हेतु स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ब) पैडी (धान)–

वर्ष 2008–09 में धान समर्थन मूल्य पर क्रय नहीं किया गया;तथा वर्ष 2008–09 में पैडी की खरीद शुन्य रही है । पैडी/धान का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया–

धान	दर रूपये प्रति क्विंटल
कामन	850+50(बोनस) =900
ग्रेड–ए	880+50(बोनस) =930

(स) लेवी का चावल

वर्ष 2007–08 में कुल 19714 मै. टन चावल की लेवी के रूप में खरीद की गई है। वर्ष 2008–09 के लिए भारत सरकार द्वारा लेवी चावल का मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया–

1	चावल (रॉ राईस)	दर रूपये प्रति क्विंटल
	कामन	1462.30
	ग्रेड–ए	1508.70
2	चावल (पारबाइल्ड)	दर रूपये प्रति क्विंटल
	कामन	1456.10
	ग्रेड–ए	1501.80

उक्त मूल्य के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए चावल पर लेवी लिये जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य के समस्त जिलों में वर्ष 2008–09 में चावल पर 50 प्रतिशत लेवी का प्रावधान है। बासमती चावल की उपज को बढ़ावा देने की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए उस पर लेवी नहीं लगाई गई है।

चीनी –

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को वर्ष 01.03.2000 की बीपीएल जनसंख्या के आधार पर फरवरी, 2001 से लगभग 7460 मै. टन लेवी चीनी का आवंटन प्राप्त हो रहा था, जिसे बीपीएल राशन कार्डधारकों को प्रति माह 500 ग्राम चीनी प्रति यूनिट 13.50 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा था। माह जनवरी, 2007 से मई 2007 से राज्य को कुल 3122.4 मै. टन चीनी आवंटित की गई व जून 2007 से सितम्बर 2007 तक 7464.4 मै. टन लेवी चीनी का आवंटन राज्य को प्राप्त हुआ तथा अक्टूबर 2007 से राज्य को 10006.2 मै. टन लेवी चीनी का आवंटन प्राप्त हो रहा था। जनवरी, 2008 से राज्य को 7458.1 मै. टन लेवी चीनी का आवंटन प्राप्त हो रहा है। इसमें सुरक्षा बलों का कोटा भी शामिल है। इसे सभी जिलों से समानुपातिक रूप से आवंटित कर दिया जाता है। वर्षवार चीनी के आवंटन एवं उठाव की स्थिति **परिशिष्ठ – 3** पर संलग्न है।

विभागीय परिपत्र संख्या एफ. 17(45)खा.वि./विधि/76–II दिनांक 24.02.05 द्वारा घर से दूर अध्ययनरत छात्रों को प्रति राशन कार्डवार 500 ग्राम की मात्रा में प्रति माह लेवी चीनी उपलब्ध कराई जाने का प्रावधान किया गया है। जिलों में छात्रों के राशन कॉर्ड बनाये जाने हेतु उनके संस्था/स्कूल/कॉलेज प्रमुखों को प्राधिकृति किया हुआ है तथा समस्त जिला रसद अधिकारियों को नोड़ल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया हुआ है।

केरोसीन –

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली से माह अप्रैल, 2005 से (त्रैमासिक रूप में) प्रति माह 42717 के.एल. का आवंटन प्राप्त हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त नीला केरोसीन केवल खाना पकाने एवं रोशनी के उद्धेश्य से वितरण कराया जाता है। प्राप्त आवंटन का एक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जिलों को उप आवंटन किया जाता है। रसोई गैस के डी.बी.सी. होल्डर्स राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन नहीं दिया जाता है। रसोई गैस के सिंगल गैस कनेक्शन राशन कार्ड उपभोक्ताओं को दो लीटर प्रति माह प्रति राशन कार्ड तथा शेष सामान्य राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को प्राप्त आवंटन के आधार पर समान मात्रा में वितरण किया जाता है। राज्य को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में केरोसिन तेल का वितरण कराने हेतु भारत सरकार से वर्ष 2006 एवं 2007 में 3000–3000 किलोलीटर का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होने पर विभाग द्वारा बाढ़ग्रस्त जिलों को उपआवंटन किया गया है। जिलेवार थोक विक्रेताओं व वर्षवार केरोसीन के आवंटन व उठाव की सूचना परिशिष्ठ – 4 पर संलग्न है।

वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केरोसीन का राज्य में समान वितरण दर से वितरण कराने हेतु माह जून, 2005 से केरोसीन की समान वितरण दर 10.00 रूपये प्रति लीटर कर दी गयी है।

एल.पी.जी.–

घरेलू गैस रिफिल का राज्य में पंजीकृत उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार नियमित रूप से उपलब्धता के संबंध में राज्य सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। घरेलू गैस का व्यवसायिक ईंधन के रूप में प्रयोग को रोकने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रभावी कदम उठाये गये हैं तथा जिला प्रशासन एवं तेल कम्पनियों को निर्देशित किया गया है। सभी जिलों में मिठाई की दुकानों, रेस्टोरेंट, वाहनों में दुरूपयोग आदि पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही कर प्रकरण बनाये गये है। घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर 19.2 किलोग्राम में उपलब्ध हैं। राज्य में कुकिंग गैस (एलपीजी) का वितरण आईओसी, एचपीसी एवं बीपीसी तेल कम्पनियां कर रही हैं। उपरोक्त कम्पनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी 2007 तक कुल 3771934 घरेलू गैस कनेक्शन हैं जिनमें से 2381546 डीबीसी एवं 1390388 सिंगल गैस कनेक्शन जारी किए हुए है।

उपभोक्ता सुरक्षा

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में जिला मंचों का गठन किया हुआ है। जयपुर जिले में एक अतिरिक्त पूर्णकालिक मंच का गठन किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में सभी 32 जिलों में पूर्णकालीन जिला मंच गठित है।

जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने हेतु कार्यवाही –

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 केतहत कार्यवाही कर आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने हेतु निरन्तर निगरानी की व्यवस्था है। इस कार्यवाही के तहत अप्रैल, 2008 से मार्च 2009 तक 486 छापे मारकर 81.94 लाख रूपये की आवश्यक उपभोक्ता सामग्री जब्त की गयी। 89 व्यापारी के अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्य में वर्ष 2008–09 के मार्च 09 तक की गई कार्यवाही का मानचित्र परिशिष्ठ – 5 पर संलग्न है।

विभाग द्वारा वर्ष 2008 में जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश/ अधिसूचना का उल्लेख **परिशिष्ठ – 6** पर संलग्न है।

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये गये हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

निर्धन/अक्षम उपभोक्ताओं के लिए विधिक सहायता योजना

उपभोक्ता संरक्षण कानून की सार्थकता निर्धन/अक्षम उपभोक्ता को इस कानून का लाभ प्रदान करने में निहित है। वैधानिक रूप से वकील की अनिवार्यता नहीं होने के बावजूद उपभोक्ता मामलो में वकील उपभोक्ता मंचों में उपस्थित हो रहे है। इन परिस्थितियों में ऐसे निर्धन/अक्षम उपभोक्ता जो कि वकील का खर्च वहन करने में असमर्थ है, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही हैं।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये निर्धन/अक्षम उपभोक्ताओं के लिये विधिक सहायता की एक योजना है। यह योजना राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रारंभ की जा चुकी है। जिले के एक चिन्हित स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को इस योजना के लिये 10 हजार रूपये की राशि उपलब्ध करा दी गयी है। इस राशि में से स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन प्रत्येक प्रकरण के लिये अधिकतम रूप से 300/– रूपये की विधिक सहायता संबंधित वकील को पारिश्रमिक एवं अन्य व्यय के लिए भुगतान करेगा। प्रकरण में निर्णय होने पर यदि निर्णय उपभोक्ता के पक्ष में होता है तो उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति एवं वाद खर्च के रूप में जो राशि अप्रार्थी से प्राप्त होगी उस राशि में से स्वैच्छिक संगठन अपने द्वारा व्यय की गई राशि उपभोक्ता से प्राप्त कर रसीद देगे और इस प्रकार स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के पास इस योजना के मद.में रिवोल्विंग फण्ड बन सकेगा। स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राज्य के समस्त जिलों में यह योजना लागू की जा चुकी है।

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के सशक्तीकरण की योजना

उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जन जागृति के कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका बढ़ाने हेतु उनका सशक्तीकरण किया जाना आवश्यक है। सभी जिला मुख्यालय में एक स्वैच्छिक संगठन इस कार्य के लिये चिन्हित कर उसके सशक्तीकरण के लिए 50,000 रू. की राशी प्रदान किये जाने की योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है। इस योजना के लिए राज्य के सभी जिलों को प्रति जिला 50,000 रू. की राशी विभाग द्वारा भेजी जा चुकी है। इस राशि से संगठन, कम्प्यूटर (प्रिन्टर सहित) खरीद सकेगे तथा शेष राशि आई. ई. सी. मैटेरियल तैयार करने में व्यय कर सकेगे। योजना के लिए स्वैच्छिक

संगठन का चयन, उपभोक्ता क्लब योजना के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता मे गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है। स्वैच्छिक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की मोनीटरिंग जिले के जिला रसद अधिकारी द्वारा की जायेगी।

विद्यालयो में उपभोक्ता क्लबों का गठन

युवाओ एवं बच्चो में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागृति उत्पन्न करने एवं शिक्षण संस्थाओ के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण का प्रचार–प्रसार करने की दृष्टि से राज्य के 500 राजकीय सीनियर सैकण्डरी एवं सैकण्डरी विद्यालयो का उपभोक्ता क्लब स्थापित करने के लिए शिक्षा सत्र 2004–05 में चयन किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित इस योजना के दूसरे चरण में राज्य के 500 राजकीय सीनियर सैकण्डरी एवं सैकण्डरी विद्यालयों का चयन कर उपभोक्ता क्लब स्थापित किये गये है। इस प्रकार राज्य के 1000 राज्यकीय विद्यालयो में उपभोक्ता क्लब स्थपित है। प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्थापित उपभोक्ता क्लबों हेतु भारत सरकार से 1.50 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसे उपभोक्ता क्लबों को आवंटित की जा चुकी है।

ऐसे अनेक उदाहरण मिल रहे है, जिनमें क्लब के सदस्य (छात्र) उपभोक्ता अधिकारों के हनन पर अपने माता–पिता एवं अभिभावकों को उपभोक्ता अदालत में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तथा उन्हें सजग उपभोक्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष

उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से राज्य में उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित किया गया है। इस कोष में भारत सरकार द्वारा 27 लाख रूपये का योगदान दिया गया तथा इतनी ही राशि (27 लाख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई। इस कोष का संचालन विभाग की पंजीकृत संस्था, राजस्थान कल्याण समिति, जयपुर द्वारा किया जाता है।

उपभोक्ता जागरूकता हेतु किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयास

उपभोक्ता हितों को सर्वोपरी रखते हुए राज्य में उपभोक्ता जागरूकता की दिशा में आरंभ से ही महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। 'जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता' के साथ ही उपभोक्ता शिक्षा की दिशा में प्रभावी वातावरण निर्माण किए जाने के लिए राज्य में उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की जहां पहल की गयी है वहीं राज्य आयोग की सर्किट बैंच की स्थापना भी की गयी है। राज्य के प्रमुख मेलों में उपभोक्ता जागृति कार्यक्रम संबंधी विशेष आयोजनों के साथ ही उपभोक्ता जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयास इस प्रकार से है–

जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र

वर्तमान युग सूचना का युग है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने से ही उपभोक्ता आन्दोलन को सफल कहा जा सकता है। जागरुक उपभोक्ता सजग और सुरक्षित बन सकता है। अतः राज्य के सभी जिलों में उपभोक्ता सूचना एवं परामर्श केंद्र स्थापित किए जावेंगे। इन केंद्रों पर उपभोक्ताओं को उनके उपयोग की सूचनाऐं एवं उपभोक्ता कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। आगामी महिनों में इस योजना को क्रियान्वित कर दिया जायेगा।

प्रमुख मेलों में उपभोक्ता जागृति कार्यक्रम –

आम उपभोक्ताओं में उपभोक्ता जागृति के प्रसार के उद्देश्य से उपभोक्ता प्रदर्शनी का आयोजन प्रारम्भ किया गया है। पुष्कर मेले में स्थानीय स्वेच्छिक संगठन के सहयोग से उपभोक्ता प्रदर्शनी आयोजित की गई। विभाग की ओर से राज्य के प्रमुख मेलों में उपभोक्ता चेतना से संबंधित नुक्कड नाटक भी आयोजित किये जा रहे हैं। हाल ही में जैसलमेर एवं भरतपुर जिले में क्रमशः आयोजित मरू उत्सव एवं ब्रज उत्सव में नुक्कड नाटक प्रदर्शित किये गये हैं।

- राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (24 दिसम्बर, 2008) के राज्य स्तरीय समारोह में विभागीय पत्रिका "उपभोक्ता मंगल" का "सजग उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता" विशेषांक जारी किया गया।

- उपभोक्ता शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से विभाग ने 'उपभोक्ता शिक्षा प्रकाशन श्रृंखला' प्रारंभ की है। इस श्रृंखला की पहली पुस्तिका 'राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण की विशिष्ट योजनायें' राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर लोकार्पित की गयी।

राज्य आयोग की सर्किट बैंच की स्थापना –

उपभोक्ताओं को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराने हेतु राज्य आयोग की एक सर्किट बैंच की स्वीकृति दी गई है। सर्किट बैंच के लिए आवश्यकतानुसार सदस्य, स्टॉफ एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। राज्य आयोग की सर्किट बैंच ने माह फरवरी, 2006 से कार्य प्रारम्भ कर दिया है। राज्य आयोग की सर्किट बैंच की स्थापना जोधपुर में करने हेतु आदेश जारी किये जा चुके है।

उपभोक्ता निदेशालय –

राज्य विधानसभा में दिनांक 19.01.04 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उपभोक्ता निदेशालय का गठन प्रस्तावित किया गया था। बाद में 09.03.07

को मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में भी इस हेतु घोषणा की गयी। इसकी अनुपालना में निदेशक, उपभोक्ता मामले का प्रभार अतिरिक्त आयुक्त खाद्य को (As ex officio Director) नियुक्त किया गया। निदेशालय के पूर्ण गठन की तत्सम्बन्धी अन्य कार्यवाही अभी होनी शेष है।

उपभोक्ता संरक्षण सबंधी प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का व्यापक आयोजन

24 दिसम्बर, 2008 को राजस्थान में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का सभी जिलों एवं राज्य स्तर पर आयोजन किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के सन्दर्भ में जयपुर शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों यथा बस स्टेन्ड, रेलवे स्टेशन, सैन्ट्रल पार्क, छोटी चौपड़, बडी चौपड़, राजस्थान विश्वविद्यालय आदि स्थानों पर 18 दिसम्बर 2008 से 22 दिसम्बर 2008 के मध्य उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया।

23 दिसम्बर 2008 की सांय को (राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की पूर्व संध्या) स्टेच्यू सर्किल पर उपभोक्ता जागृति "दीप ज्योति" कार्यक्रम आयोजित कर 6000 दीप जलाये गये।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अंतर्गत 15 मार्च 2009 को उपभोक्ता जागरूकता के लिए राज्यभर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस बार जिला स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से उपभोक्ता जागरूकता के साथ ही उपभोक्ता हित संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में उपभोक्ता सेवा से जुड़े विभागों एवं सक्रिय स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की प्रभावी भूमिका रही।

उपभोक्ता जागृति अभियान–सीमित सहायता योजना –

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि को उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विभाग ने यह योजना अप्रेल, 2007 में प्रारम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत 5000/– रूपयें से 50,000/– रूपयें तक की सहायता प्रदान की जा सकती है। 5000/– रूपयें तक की सहायता जिला कलेक्टर स्वयं के स्तर पर प्रदान कर सकते है। इससे अधिक राशि की सहायता के लिए प्रकरण खाद्य विभाग मुख्यालय में विचारार्थ प्रेषित किये जाने का प्रावधान है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग के सभी शासन उपसचिव एवं उपायुक्त, सहायक खाद्य आयुक्त, मुख्य लेखाधिकारी खाद्य, नागरिक

आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को राज्य जन सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त (द्वितीय) को नोडल अधिकारी तथा सभी जिला रसद अधिकारियों को अपने-जिलों के लिए राज्य जन सूचना अधिकारी और सभी उपखण्ड अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के लिये राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी तथा खाद्य आयुक्त को प्रथम अपील की सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के अनु0 (बी) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर विभागीय मैन्यूअल प्रकाशित किया जा चुका है। इस मैन्यूअल की प्रति विभाग मुख्यालय पर सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। इसकी प्रति सभी जिला रसद अधिकारियों और उपखण्ड अधिकारियों के कार्यालयों को सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ विभागीय पत्र दिनांक 13.10.2005 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना-पत्रों का निर्धारित अवधि में अथवा इससे पूर्व निस्तारण किया जाता है।

वास्तविक आय व्यय एवं संशोधित प्रावधान

वर्ष 2006-07, 2007-08 के वास्तविक आय-व्यय एवं वर्ष 2007-08 के संशोधित तथा 2008-09 के मूल प्रावधानों का विवरण **परिशिष्ठ- 7** पर एवं विभाग का प्रशासनिक संरचना **परिशिष्ठ- 8** पर अंकित है।

परिशिष्ठ–1

मार्च, 2009 को कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों की जिलेवार स्थिति

क्र.सं.	नाम जिला / संभाग	उचित मूल्य दुकानों की श्रेणीनुसार स्थिति						
		शहरी		ग्रामीण		कुल		
		सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर – संभाग							
1	अजमेर	29	417	130	411	**159**	**828**	**987**
2	भीलवाडा	23	112	238	403	**261**	**515**	**776**
3	नागौर	6	194	88	816	**94**	**1010**	**1104**
4	टोंक	0	103	49	374	**49**	**477**	**526**
	योग	**58**	**826**	**505**	**2004**	**563**	**2830**	**3393**
2	भरतपुर – संभाग							
1	भरतपुर	3	189	36	573	**39**	**762**	**801**
2	धौलपुर	20	. 67	23	314	**43**	**381**	**424**
3	करोली	5	79	44	386	**49**	**465**	**514**
4	सवाई माधोपुर	3	83	17	427	**20**	**510**	**530**
	योग	**31**	**418**	**120**	**1700**	**151**	**2118**	**2269**
3	बीकानेर – संभाग							
1	बीकानेर	20	189	73	447	**93**	**636**	**729**
2	चूरू	7	203	106	513	**113**	**716**	**829**
3	गंगानगर	42	186	138	334	**180**	**520**	**700**
4	हनुमानगढ	6	197	72	339	**78**	**536**	**614**
	योग	**75**	**775**	**389**	**1633**	**464**	**2408**	**2872**
4	जयपुर – संभाग							
1	अलवर	16	103	63	759	**79**	**862**	**941**
2	दौसा	1	63	27	586	**28**	**649**	**677**
3	जयपुर	39	671	104	746	**143**	**1417**	**1560**
4	झुन्झुनू	4	150	52	516	**56**	**666**	**722**
5	सीकर.	2	244	72	546	**74**	**790**	**864**
	योग	**62**	**1231**	**318**	**3153**	**380**	**4384**	**4764**

5	जोधपुर – संभाग							
1	बाडमेर	8	58	236	638	**244**	**696**	**940**
2	जैसलमेर	12	15	24	252	**36**	**267**	**303**
3	जालौर	5	54	146	353	**151**	**407**	**558**
4	जौधपुर	216	172	304	419	**520**	**591**	**1111**
5	पाली	12	144	206	383	**218**	**527**	**745**
6	सिरोही	8	47	66	247	**74**	**294**	**368**
	योग	**261**	**490**	**982**	**2292**	**1243**	**2782**	**4025**
6	कोटा – संभाग							
1	बांरा	9	66	12	416	**21**	**482**	**503**
2	बून्दी	2	93	36	251	**38**	**344**	**382**
3	झालावाड	5	79	59	409	**64**	**488**	**552**
4	कोटा	29	261	60	228	**89**	**489**	**578**
	योग	**45**	**499**	**167**	**1304**	**212**	**1803**	**2015**
7	उदयपुर – संभाग							
1	बांसवाडा	1	49	74	531	**75**	**580**	**655**
3	चित्तौडगढ	12	121	150	523	**162**	**644**	**806**
3	डूॅगरपुर	3	43	107	357	**110**	**400**	**510**
4	राजसमन्द	6	46	70	329	**76**	**375**	**451**
5	उदयपुर	28	218	166	819	**194**	**1037**	**1231**
	योग	**50**	**477**	**567**	**2559**	**617**	**3036**	**3653**
	महायोग	**582**	**4716**	**3048**	**14645**	**3630**	**19361**	**22991**

परिशिष्ठ– (2)

राज्य को प्राप्त खाद्यान्न का पिछले चार वर्ष एवं वर्ष 2008–09 का
मासिक आवंटन व उठाव :–

1. एपीएल गेंहूँ का आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टनों में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2004-2005	2696376	302814	**11.23**
2005-2006	2188544	198433	**9.07**
2006-2007	526954	153529	**29.14**
2007-2008	290948	236554	**81.30**

अप्रेल, 2008 से मार्च 2009 की अवधि में

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
अप्रेल,08	16959	11249	66.33
मई, 08	16959	17918	105.65
जून, 08	17204	16290	94.69
जुलाई,08	22204	20283	91.35
अगस्त,08	22204	20618	92.86
सितम्बर,08	22204	21282	95.85
अक्टूबर,08	32204	22927	71.19
नवम्बर 08	32204	34014	105.62
दिसम्बर 08	32204	30879	95.89
जनवरी 09	32204	26487	82.25
फरवरी 09	32204	34148	106.04
मार्च 09	32204	31569	98.03
योग	**310958**	**287664**	**92.51**

2. बीपीएल गेहूँ का आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टनों में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2004-2005	701294	650466	**92.75**
2005-2006	517808	448715	**86.66**
2006-2007	434372	415671	**95.69**
2007-2008	408640	385339	**94.30**

अप्रेल, 2008 से मार्च 2009 की अवधि में

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
अप्रेल,08	35595	33247	93.40
मई, 08	35595	37204	104.52
जून, 08	52461	51478	98.13
जुलाई,08	52461	53290	101.58
अगस्त,08	52461	51941	99.01
सितम्बर,08	52461	52188	99.48
अक्टूबर,08	52461	52471	100.02
नवम्बर 08	52461	52163	99.43
दिसम्बर 08	52461	52293	99.68
जनवरी 09	52461	51915	98.96
फरवरी 09	52461	50634	96.52
मार्च 09	52461	50782	96.80
योग	**595800**	**589606**	**98.96**

3. अन्त्योदय अन्न योजना के आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टनों में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2004-2005	248194	228637	**92.12**
2005-2006	336195	293333	**87.25**
2006-2007	374394	341639	**91.25**
2007-2008	378600	357826	**94.51**

अप्रेल, 2008 से मार्च 2009 की अवधि में

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
अप्रेल,08	31550	28800	91.28
मई, 08	31550	31822	100.86
जून, 08	32624	32887	100.81
जुलाई,08	32624	31225	95.71
अगस्त,08	32624	31626	96.94
सितम्बर,08	32624	32551	99.78
अक्टूबर,08	32624	32823	100.61
नवम्बर 08	32624	32477	99.55
दिसम्बर 08	32624	32236	98.81
जनवरी 09	32624	31757	97.34
फरवरी 09	32624	31059	95.20
मार्च 09	32624	31302	95.95
योग	**389340**	**380565**	**97.75**

4. अन्नपूर्णा गेंहूँ के आवंटन एवं उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टनों में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2004-2005	12635	12258	**97.02**
2005-2006	12635	13642	**107.97**
2006-2007	12635	11626	**92.01**
2007-2008	12635	11655	**92.24**

अप्रेल, 2008 से मार्च 2009 की अवधि में

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
अप्रेल,08	1053	248	23.55
मई, 08	1053	243	23.08
जून, 08	1053	1849	175.59
जुलाई,08	1053	1178	111.87
अगस्त,08	1053	985	93.54
सितम्बर,08	1053	991	94.11
अक्टूबर,08	1053	1007	95.63
नवम्बर 08	1053	1047	99.43
दिसम्बर 08	1053	987	93.73
जनवरी 09	1053	968	91.93
फरवरी 09	1053	993	94.30
मार्च 09	1053	1040	98.77
योग	**12635**	**11536**	**91.31**

5. एपीएल चावल के आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टनों में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2004-2005	67380	0	**0.00**
2005-2006	575212	190	**0.03**
2006-2007	810936	9825	**1.21**
2007-2008	0	0	**0.00**

अप्रेल, 2008 से मार्च 2009 की अवधि में

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
अप्रेल,08	245	37	15.10
मई, 08	245	348	142.04
जून, 08	0	0	0.00
जुलाई,08	0	0	0.00
अगस्त,08	0	0	0.00
सितम्बर,08	0	0	0.00
अक्टूबर,08	0	0	0.00
नवम्बर 08	0	0	0.00
दिसम्बर 08	0	0	0.00
जनवरी 09	0	0	0.00
फरवरी 09	0	0	0.00
मार्च 09	0	0	0.00
योग	**490**	**385**	**78.57**

6. बीपीएल चावल के आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टनों में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2004-2005	8162	0	**0.00**
2005-2006	75574	19999	**26.46**
2006-2007	200934	100952	**50.24**
2007-2008	202392	146915	**72.59**

अप्रेल, 2008 से मार्च 2009 की अवधि में

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
अप्रेल,08	16866	14033	83.20
मई, 08	16866	12785	75.80
जून, 08	0	145	0.00
जुलाई,08	0	0	0.00
अगस्त,08	0	0	0.00
सितम्बर,08	0	0	0.00
अक्टूबर,08	0	0	0.00
नवम्बर 08	0	0	0.00
दिसम्बर 08	0	0	0.00
जनवरी 09	0	0	0.00
फरवरी 09	0	0	0.00
मार्च 09	0	0	0.00
योग	**33732**	**26963**	**79.93**

7. अन्त्योदय चावल के आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टनों में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2004-2005	2890	325	**11.25**
2005-2006	3823	2318	**60.63**
2006-2007	11320	4518	**39.91**
2007-2008	12888	6435	**49.93**

अप्रेल, 2008 से मार्च 2009 की अवधि में

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
अप्रेल,08	1074	561	52.23
मई, 08	1074	606	56.42
जून, 08	0	13	0.00
जुलाई,08	0	0	0.00
अगस्त,08	0	0	0.00
सितम्बर,08	0	0	0.00
अक्टूबर,08	0	0	0.00
नवम्बर 08	0	0	0.00
दिसम्बर 08	0	0	0.00
जनवरी 09	0	0	0.00
फरवरी 09	0	0	0.00
मार्च 09	0	0	0.00
योग	**2148**	**1180**	**54.93**

योजनावार परिवारों की संख्या

कम संख्या	जिला	बीपीएल परिवार	अन्त्योदय परिवार	अन्नपूर्णा लाभार्थी
1	2	3	4	5
1	अजमेर	63901	26483	4078
2	अलवर	60674	32424	1872
3	बांसवाडा	104541	67907	3939
4	बारां	16113	42327	5229
5	बाडमेर	52660	32392	3674
6	भरतपुर	42669	20194	1855
7	भीलवाडा	72687	43099	4355
8	बीकानेर	57511	23625	5336
9	बून्दी	37332	18851	786
10	चित्तौडगढ	83879	64834	1878
11	चूरू	64571	30000	4126
12	दौसा	29832	16872	837
13	धौलपुर	25421	13740	2025
14	डूँगरपुर	81716	52426	5014
15	गंगानगर	44361	17566	554
16	हनुमानगढ	41867	18031	3324
17	जयपुर	72645	27861	1720
18	जैसलमेर	14044	8075	2893
19	जालौर	38642	32936	3200
20	झालावाड	42302	23062	2342
21	झुन्झुनू	26331	12314	2722
22	जौधपुर	49284	15695	5067
23	करोली	43504	26051	2833
24	कोटा	63700	18299	2920
25	नागौर	50987	24398	10456
26	पाली	50424	26746	2755
27	राजसमन्द	33932	28360	2006
28	सीकर	31876	13639	2851
29	सिरोही	26708	15128	1319
30	सवाई माधोपुर	42100	21975	6600
31	टोंक	41659	26324	2497
32	उदयपुर	144713	90467	4230
	योग	**1652586**	**932101**	**105293**

नोटः– ग्रामीण क्षेत्र में सेंसस 1997 एवं शहरी क्षेत्र में सेंसस 2003 के अनुसार बीपीएल परिवार हैं।

परिशिष्ट–3

8. लेवी चीनी के आवंटन एवं उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टनों में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2004-2005	94555	29342	**31.03**
2005-2006	49343	16843	**34.13**
2006-2007	34016	12237	**35.97**
2007-2008	88497.4	11575	**13.08**

अप्रेल, 2008 से मार्च 2009 की अवधि में

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
अप्रेल,08	7458.1	1385	18.57
मई, 08	7458.1	1061	14.23
जून, 08	7458.1	1045	14.01
जुलाई,08	7458.1	932	12.50
अगस्त,08	7458.1	209	2.80
सितम्बर,08	7458.1	209	2.80
अक्टूबर,08	10004.1	4693	46.91
नवम्बर 08	10002.9	2919	29.18
दिसम्बर 08	7456.9	2617	35.10
जनवरी 09	7456.9	1341	17.98
फरवरी 09	10004.1	670	6.70
मार्च 09	10004.1	6376	63.73
योग	**99677.6**	**23457**	**23.53**

9. केरोसीन के आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा के.एल. में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2004-2005	512609	508766	**99.25**
2005-2006	512604	505201	**98.56**
2006-2007	515604	513164	**99.53**
2007-2008	515604	514126	**99.71**

अप्रेल, 2008 से मार्च 2009 की अवधि में

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
अप्रेल,08	42717	42668	99.89
मई, 08	42717	42359	99.16
जून, 08	42717	42648	99.84
जुलाई,08	42717	42624	99.78
अगस्त,08	42717	42549	99.61
सितम्बर,08	42717	42669	99.89
अक्टूबर,08	42717	42692	99.94
नवम्बर 08	42717	42692	99.94
दिसम्बर 08	42717	42680	99.91
जनवरी 09	42717	42641	99.82
फरवरी 09	42700	42688	99.97
मार्च 09	42717	42700	99.96
योग	**512587**	**511610**	**99.81**

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की सूचना

क्र. स.	वर्ष	माह में छापे मारे गये	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये	न्यायालय द्वारा दंडित किये गये व्यक्तियों की संख्या	जब्त किये माल की अनुमानित राशि (लाखों में)
1	2004–05	149	2	50	8	30.76
2	2005–06	341	90	172	51	98.51
3	2006–07	993	76	171	10	95.77
4	2007–08	571	24	188	44	84.01

अप्रेल, 2008 से मार्च 2009 की अवधि में

क्र. स.	माह	माह में छापे मारे गये	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये	न्यायालय द्वारा दंडित किये गये व्यक्तियों की संख्या	जब्त किये माल की अनुमानित राशि (लाखों में)
	अप्रेल,08	23	1	6	3	4.81
	मई, 08	16	6	6	0	3.49
	जून, 08	69	3	28	1	4.28
	जुलाई,08	52	4	19	0	25.84
	अगस्त,08	58	0	21	0	3.38
	सितम्बर,08	61	5	6	0	7.81
	अक्टूबर,08	34	0	8	2	3.28
	नवम्बर 08	79	0	20	0	5.44
	दिसम्बर 08	54	0	7	0	2.20
	जनवरी 09	6	0	30	0	8.12
	फरवरी 09	20	3	15	0	9.63
	मार्च 09	14	0	2	0	3.65
	योग	486	22	168	6	81.94

विभाग द्वारा वर्ष में जारी किये गये महत्त्वपूर्ण आदेश व अधिसूचनायें

दिशा–निर्देश दिनांक 02.09.2008

1 अप्रेल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक के रजिस्टर 31 मार्च, 2009 तक सुरक्षित रखे जावें, तत्पश्चात् इनको निस्तारित किया जावे। यदि किसी उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त हो जाता है तो उस स्थिति में ये रजिस्टर जिला रसद कार्यालय में जमा हों तथा इन्हें इसी प्रकार सुरक्षित रखने एवं निस्तारित करने की कार्यवाही की जावे।

2. ज्ञात हुआ है कि जिला रसद अधिकारियों के द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 8(2) के प्रावधानों की पालना नहीं की जा रही है। एक बार 90 दिवस के लिये उचित मूल्य की दुकान निलंबित करने के पश्चात् प्रकरण का शीघ्र निस्तारण नहीं किया जाता है तथा प्राधिकार पत्र का निलंबन 90 दिवस की अवधि से अधिक तक माना जाता है, जो कि विधिसम्मत् नहीं है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि यह सुनिश्चित किया जावे कि अनियमितता की वजह से दर्ज किये गये प्रकरणों का पूर्णतया निस्तारण 90 दिवस की अवधि में ही हो, यदि किसी कारणवश इससे अधिक समय लगे, तो उसका पत्रावली पर विशेष रूप से उल्लेख किया जावे। इन निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

3. उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध प्राप्त होने वाली बहुत सी शिकायतें झूठी, मनगढन्त, आधारहीन होती हैं, जिनमें फर्जी हस्ताक्षर, बिना नाम एवं पते की भी शिकायतें प्राप्त होती है। ऐसी शिकायतों की जाँच में न केवल सरकारी समय एवं धन की बर्बादी ही होती है, अपितु अनावश्यक कार्यभार बढने से वास्तविक कार्य के निस्तारण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा भी परिपत्र दिनांक 24.06.2002 के द्वारा भी निर्देश प्रदान किये हैं कि ऐसी फर्जी शिकायतों एवं गुमनाम शिकायतों को किसी प्रकार तरजीह नहीं दी जावे, ताकि राज्य सरकार के समय एवं धन की बर्बादी नहीं हो।

वर्ष 2006–07 व 2007–08 के वास्तविक आय–व्यय एवं वर्ष 2008–09 के मूल बजट प्रावधानों का विवरण :–

बजट शीर्ष / उपशीर्ष	वास्तविक लेखे 2006–07	वास्तविक लेखे 2007–08	मूल प्रावधान 2007–08	संशोधित प्रावधान 2007–08	मूल प्रावधान 2008–09
व्यय मद (मांग संख्या 32) 3456–नागरिक आपूर्ति, 001–निदेशक और प्रशासन (01)–खाद्य आयुक्त के माध्यम द्वारा					
[01]–मुख्यालय कर्मचारी वर्ग (आयो.भिन्न)	182.49	201.95	193.49	201.68	228.80
[02]–जिला कर्मचारी वर्ग (आयो.भिन्न) प्रदत्त्मत	1119.64	1114.26	1245.20	1140.34	1489.34
प्रभृत	5.17	3.10	0.01	2.19	0.01
196–(01)–(01)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
[03]–उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (आयो.भिन्न)	575.46	593.01	614.81	640.80	745.00
[03]–उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (आयोजना)	1.50	4.38	5.00	6.00	0.00
[03]–उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (के.प्र.यो.) [04] उपभोक्ता मामले निदेशालय	22.95 0.00	175.29 2.38	24.06 0.00	198.72 4.17	45.00 6.91
कुल योग प्रदत्त्मत प्रभृत	1902.04 5.17	2091.27 3.10	2082.57 0.01	2191.71 2.19	2515.05 0.01
3456–नागरिक आपूर्ति, 102–सिविल पूर्ति योजना (01)–खाद्यान्न संभरण योजना (अन्त्योदय योजना) (02)–वितरण (आयो.भिन्न)	1490.92	1486.67	1500.04	1500.02	1500.02
(के.प्र.यो.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[04] अन्नपूर्णा योजना (आयोजना)	541.89	560.93	700.00	618.00	700.00
अन्नपूर्णा योजना (के.प्र.यो.)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
[05] खाद्यान्न बैंक की स्थापना (आयोजना)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
[06] सहरिया परिवारों के लाभार्थ हेतु (आयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[07] राशन टिकिट योजना (आयोजना)	8.16	43.18	44.97	43.97	50.00
3456–102–789 (आयोजना)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
3456–102–896 (आयोजना)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
योग	**2040.97**	**2098.78**	**2245.05**	**2161.99**	**2250.02**
महायोग	**3948.18**	**4185.15**	**4327.63**	**4355.89**	**4765.08**

बजट शीर्ष / उपशीर्ष	वास्तविक लेखे 2006–07	वास्तविक लेखे 2007–08	मूल प्रावधान 2007–08	संशोधित प्रावधान 2007–08	मूल प्रावधान 2008–09
मांग संख्या–32 5475–अन्य सामान आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 102–सिविल आपूर्ति 09–उपभोक्ता संरक्षण के राज्य आयोग एवं जिला मंचों को आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण 17–वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	36.93	17.80	24.04	24.04	0.00
वृहद निर्माण कार्य (के.प्र.यो.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72–आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण (क.प्र.यो.)	0.00	94.02	0.01	90.00	218.38
आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण (के.प्र.यो.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (पूंजीगत परिव्यय)	**36.93**	**111.82**	**24.05**	**114.04**	**218.38**

वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के वास्तविक आय–व्यय एवं 2008–09 के मूल प्रावधानः–

राजस्व मद / उपमद	वास्तविक लेखे 2006–07	वास्तविक लेखे 2007–08	मूल प्रावधान 2007–08	संशोधित प्रावधान 2007–08	मूल प्रावधान 2008–09
1475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियां 800–अन्य प्राप्तियां 04–अन्य विविध प्राप्तियां (01) खाद्य विभाग के माध्यम से	105.46	152.68	75.06	114.72	84.75
05–परिवहन समानीकरण से प्राप्तियां	356.05	465.13	272.52	369.54	472.80
06–अन्तर राशि से प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01–खाद्यान्न से	17.17	3.56	8.49	25.66	10.82
02–केरोसीन से	(-) 0.23	0.00	0.25	0.00	0.00
07–उपभोक्ता संरक्षण के जिला मंचों में परिवाद दायर करने हेतु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योगः–	478.45	621.37	356.32	509.92	568.37

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

प्रशासनिक संरचना

राज्य स्तर

मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

प्रमुख शासन सचिव एवं पदेन आयुक्त
(1)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले
(1)

उपायुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव	सहायक आयुक्त	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	स. विधि परामर्शी	वित्तीय सलाहकार
(2)	(1)	(1)	(1)	(1)

सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी (1)	जि.र.अ. (सतर्कता) (1)	सहायक लेखाधिकारी (2)
कार्यालय अधीक्षक (1)	प्रवर्तन अधिकारी (2)	प्रवर्तन निरीक्षक (2)

संभाग स्तर

संभागीय आयुक्त (मुख्यालय)
(7)

सहायक जिला रसद अधिकारी (संभागीय आयुक्त कार्यालय)
(6)

जिला स्तर

जिला कलक्टर्स रसद (32)
जिला रसद अधिकारी (32)
अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी (2)
सहायक जिला रसद अधिकारी (6)
(संभागीय जिला मुख्यालय हेतु)

प्रवर्तन अधिकारी (88) प्रवर्तन निरीक्षक (251)

- बीपीएल, अन्त्योदय एवं असहाय परिवारों को खाद्य सुरक्षा
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का क्रियान्वयन
- उपभोक्ता संरक्षण हेतु प्रभावी प्रयास